कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली के पत्रांक 1353 दिनांक 25.06.2026 के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया है कि के0जी0बी0भी0 (KGBV) पातेपुर टाईप-1 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोशाक आपूर्ति की राशि कुल ₹103,900 का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता 'ओम इन्टरप्राईजेज हाजीपुर' को नहीं किया गया। बिना किसी विभागीय आदेश या निर्देश के इस राशि को पी0एफ0एम0एस के माध्यम से दिनांक 25.03.2026 को के0जी0बी0भी0 अदर फंड के खाते में अंतरित कर दिया गया। कार्यालय के पत्रांक 867 दिनांक 06.04.2026 संचालक के0जी0बी0भी0 पातेपुर टाईप-1 श्री सुशिल सुन्द्रम, नियमित शिक्षक, रा0म0वि0 तेन्दा उर्दू, प्रखण्ड-पातेपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सुन्द्रम के द्वारा दिनांक 08.04.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं रहने के कारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली द्वारा वित्तीय अनियमितता के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है।

अतः श्री सुशिल सुन्द्रम, सहायक शिक्षक, रा0म0वि0 तेन्दा उर्दू, प्रखण्ड-पातेपुर,वैशाली को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री सुशिल सुन्द्रम के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

श्री सुशिल सुन्द्रम का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ, वैशाली निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

13.7.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
13/7/26

ज्ञापांकः-......1464...... हाजीपुर दिनांकः-......13/07/26......

प्रतिलिपिः-वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13-7-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
13/7/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम– श्री सुशिल सुन्द्रम,
(ii). पद नाम– सहायक शिक्षक
(iii). जन्म तिथि–01.02.1977
(iv). सेवानिवृति तिथि–
(v). सेवा संवर्ग का नाम– सहायक शिक्षक
(vi). पद समूह एवं विभाग– सहायक शिक्षक / शिक्षा विभाग
(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर–
(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन– 2026 / रा0म0वि0 तेन्दा उर्दू, प्रखण्ड–पातेपुर,वैशाली।

13.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग द्वितीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का सार

(i). के०जी०बी०भी० पातेपुर टाईप–1 में वित्तीय वर्ष 2025–26 में पोशाक आपूर्ति हेतु कुल ₹1,03,900 की राशि देय थी। नियमतः यह भुगतान आपूर्तिकर्त्ता ओम इन्टरप्राईजेज हाजीपुर को किया जाना था। परंतु श्री सुशिल सुन्द्रम द्वारा उक्त वेंडर को भुगतान न करते हुए, बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश या निर्देश के उक्त राशि को दिनांक 25.03.2026 को पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से के०जी०बी०भी अदर फंड के खाते में अंतरित कर दिया गया।
(ii). श्री सुशिल सुन्द्रम, नियमित शिक्षक द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता, घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता की गई है। उन्होंने बिना किसी विभागीय आदेश/निर्देश के सरकारी राशि को गलत खाते में अंतरित कर वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है।
(iii). सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, स्वेच्छाचारिता तथा प्रशासनिक अनुशासन के गंभीर उल्लंघन करना, सरकारी कर्मी के आचारण के विपरीत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना एव अपने कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). के0जी0बी0भी0, पातेपुर टाईप–1 में वित्तीय वर्ष 2025–26 में पोशाक आपूर्ति की राशि कुल ₹103,900 का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता 'ओम इन्टरप्राईजेज हाजीपुर' को नहीं किया गया। बिना किसी विभागीय आदेश या निर्देश के इस राशि को पी0एफ0एम0एस के माध्यम से दिनांक 25.03.2026 को के0जी0बी0भी0 अदर फंड के खाते में अंतरित कर दिया गया।
(ii). श्री सुशिल सुन्द्रम, नियमित शिक्षक द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता, घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता की गई है। उन्होंने बिना किसी विभागीय आदेश/निर्देश के सरकारी राशि को गलत खाते में अंतरित कर वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है।
(iii). सरकारी कर्मी के आचारण के विपरीत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना एव अपने कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता।

13.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

कमं स0	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली के पत्रांक 1353 दिनांक 25.06.2026 एवं पत्रांक 867 दिनांक 06.04.2026 तथा समर्पित स्पष्टीकरण	5

13.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।